न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश

ग्वालियर म0प्र0

फा. /3362/PBR/15

प्र. क्र. निगरानी / / पी0बी0आर / 2015

1 रामदुलारे
2. गुलाबसिंह पुत्रगण श्री बालमुकुन्द निवासीग्राम जडेरूआकला, तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0 ....प्रार्थीगण

बनाम

1. म0प्र0शासन
2 अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर म0प्र0
3 माताप्रसाद बरूआ पुत्र श्री नारायण बरूआ निवासी दहीमण्डी लश्कर ग्वा0......प्रतिप्रार्थीगण

<u>म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी मुरार जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 21 / 2014–15 172 (5) में पारित आदेश दिनांकी 08.09.2015 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी</u>

श्रीमान जी,

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रार्थीगणों के स्वत्व स्वामित्व एवं अधित्य की भूमि ग्राम जडेरूआ कला तहसील

1. यह कि, प्रार्थीगणों के स्वत्व स्वामित्व एवं अधित्य की भूमि ग्राम जडेरूआ कला तहसील व जिला ग्वालियर में स्थित सर्वे कमांक 386 मिन 408 मिन, 409, 411, 412 / 2, 413, कुल किता–7 कुल रकवा 2.409हे0 भूमि है । उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगणों के नाम से दर्ज है तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकरअधिपत्यधारीहै । प्रार्थीगणों की भूमि पर आने जाने का विधिपूर्वक रास्ता न होने के कारण प्रार्थीगणों ने मौके पर अपने खेतों के बीच में सेमुरम्म डालकर रास्ते का निर्माण कर लिया है जिसका उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण ही करते हुये चले आ रहे है प्रतिप्रार्थी कमांक–2 द्वारा प्रार्थीगणों को म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 172 (5) के अंतर्गत अवैध कॉलोनी का निर्माण किये जाने के आधार पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया । प्रार्थीगणों को सूचना पत्र जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण न्यायालय में उपसिथत हुये और न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगणों को दिये गये कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में प्रचलनशीलता पर प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की और अपनी आपत्ति में यह मुद्दा उठाया कि इस न्यायालय को अवैध कॉलोनी के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार नही है राज्य शासन की अधिसूचना के आधार पर कलेक्टर को जो अधिकार प्राप्त थे वह समस्त अधिकार आयुक्त नगर पालिका निगम को स्थानांतरण किये जा चुके है तथा 172 (5) के अंतर्गत तभी नोटिस दिया जा सकता है जब म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 1 एवं

क्रमशः.......2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3362/पीबीआर/15 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-03-2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.03.2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो। **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	